

हरियाणा सरकार  
स्कूली शिक्षा विभाग  
निरीक्षण प्रपत्र: निजी स्कूलों को मान्यता देने हेतु निरीक्षण

निरीक्षण की तिथि: 20/08/2014  
 जिला: ROHTAK  
 उपखण्ड: MEHAM

1. विद्यालय का विवरण

क. सामान्य

- विद्यालय का नाम: M D S PUBLIC SCHOOL  
MADINA
- मान्यता का प्रकार: प्राईमरी  मिडल  हाई  सी०सी०   
(जिसके लिए आवेदन किया है)
- 10+2 के लिए संकाय दर्शाएं आर्ट  कॉमर्स  साईंस   
(जिन संकायों के लिए आवेदन किया है)
- यदि पहले से मान्यता प्राप्त है नं० \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_  
तो संकाय आदेश क्रमांक व दिनांक प्राईमरी  मिडल  हाई \_\_\_\_\_  
सत्यापित प्रति संलग्न करें डायरेक्ट  डी०ई०ओ०  स्थाई मान्य \_\_\_\_\_  
नं० \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_  
शहर  देहात

ख. विद्यालय की स्थिति का विवरण:

- प्लान संख्या \_\_\_\_\_
- सैक्टर/मोहल्ला  KORSAN
- शहर/कस्बा/गांव  MADINA
- हुडा/म्युनिसिपल कमेटी/पंचायत PANCHAYAT MADINA KORSAN
- सी० डी० खण्ड MEHAM
- विश्व-सभा क्षेत्र MEHAM
- जिला ROHTAK
- टेलीफोन नं० एस.टी.डी. कोड सहित 09068840661
- फैक्स नं० \_\_\_\_\_
- ई-मेल पता MDS PUBLIC MADINA@gmail.com

ग. विद्यालय का प्रकार

- विद्यालय की प्रकार लड़के  लड़कियां  को० एजुकेशन
- दाखिल किए गए विद्यार्थियों की संख्या 90
- बोर्ड का नाम जिससे मान्यता प्राप्त है: बी.ओ.एस.ई.  सी.बी.एस.ई.  आई.सी.एस.  अन्य
- विवरण  
 अ. 1-8 वीं तक बी.ओ.एस.ई.  सी.बी.एस.ई.  आई.सी.एस.  अन्य   
 ब. 9-12 वीं तक बी.ओ.एस.ई.  सी.बी.एस.ई.  आई.सी.एस.  अन्य   
 5. माध्यम हिन्दी  अंग्रेजी  दोनों  अन्य

2. विद्यालय संचालक समिति का विवरण

क. नाम

निजी/निजी संस्था/ट्रस्ट जो ट्रस्ट एक्ट 182 के तहत 2या 1982 या सोसाईटी पंजीकृत एक्ट 1860 या कम्पनी एक्ट 1956  
 MADINA VIKRASH SHIKSHI  
 A SAMITI MADINA

ख. पंजीकरण विवरण

- मैनेजमेंट की स्कीम क्या प्रस्तुत की: हा  नहीं
- क पंजीकरण क्रमांक और दिनांक 312 19032014
- पंजीकरण प्राधिकरण REGISTRAR SOCIETIES ROHTAK
- मैनेजिंग कमेटी बनाई या नहीं हा  नहीं
- मैनेजिंग समिति के सदस्यों की संख्या 2
- वाई लॉ की प्रति: हा  नहीं

15/1/14

*(Signature)*

Phayag Road, Pithampur  
 School, Baramulla

3. भूमि का विवरण (नियम 30 में दर्शाया गया है)

क. भूमि क्षेत्रफल का विवरण

कुल जमीन  
 वर्ग मी०  एकड़  कनाल  म ला   
 हां  नहीं   
 एरिया  स्कूल से दूरी

क्या खेल का मैदान है  
 यदि हां तो

ख. भूमि की स्थिति

- खेवट/खसरा सं०/किल नं०/प्लॉट नं० खेवट  585 खसरा  किला  प्लॉट
- क्या भूमि इकट्ठी है या अधिब टुकड़े का एरिया
- यदि एक से अधिक है तो तहसीलदार द्वारा इत्यापित सजरा लगाए हां  नहीं
- क्या भूमि के टुकड़े पर अभिगम आसान और आरामपस्त है: हां  नहीं

ग. मालिकाना विवरण:

- निजी/निजी संगठन/ट्रस्ट या सोसायटी या कम्पनी या विद्यालय के मालिक का नाम  MAXIMA  VIKASH  EDUCATION  SOCIETY  MAXIMA
- मालिकाना दस्तावेज लगायें हां  नहीं

घ. पट्टानामा देने वाले का विवरण

- नाम  SH. SATISHAN  S. NISHA
- पता  V. S. P. O. MAXIMA  KOPETA

ङ. पट्टानामा विवरण

- पट्टानामा नाम प्रधान/सचिव/मैनेजर  SH. SATINDER  SECEPANA

- क्या प्राधिकारी पत्र लगाया हां  नहीं
- क्या प्रस्ताव पत्र की प्रति लगाई हां  नहीं
- पट्टानामा की प्रति लगाई या नहीं हां  नहीं

4. भवन विवरण

क. भवन योजना क्या नक्शानवीश द्वारा पतिहस्ताक्षरित और मालिक या पट्टानामा बनाया हुआ क्षेत्रफल हां  नहीं

- क्या हुआ मैदान  10719 वर्ग फुट
- कुल छपा हुआ क्षेत्र यदि एक मंजिल से अधिक है  25428 वर्ग फुट
- छपे हुए तल का प्रतिशत
- छत क्षेत्र का अनुपात
- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र पी.डब्ल्यू.डी. से/ एम.सी. से/पंजीकृत इंजीनियर से (प्रति संलग्न) हां  नहीं
- अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र फायर ब्रिगेड से (प्रति संलग्न) हां  नहीं
- सी.एम.ओ. से हाईजीन प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न) हां  नहीं

ख. कमरों का विवरण

कुल कमरे     6  
 कक्षा के कमरों की संख्या (विभाग के लिए एक कमरा)     8

कुल कमरे	लेन्टर	लं०	मी०	ऊ०	वर्ग फुट में क्ष०	वि० की संख० जो बैठ सकते ?	कुल वि०
<input checked="" type="checkbox"/> 08	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 4000	<input type="checkbox"/> 4000	<input type="checkbox"/> 3200
<input type="checkbox"/>	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

कुल     08

MAHAM (Rohini)

MAHAM

क. कमरे

मुख्याध्यापक का कार्यालय	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	25	20	17
स्टाफ का कमरा	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	53	53	18
कार्यालय का कमरा	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	24	24	14
पुस्तकालय	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	28	28	14
भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>			
रसायन विज्ञान प्रयोगशाला	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>			
जीव विज्ञान प्रयोगशाला	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>			
इकट्टी विज्ञान प्रयोगशाला	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	39	24	16
कम्प्यूटर प्रयोगशाला	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	39	29	19
वाणिज्य कमरा	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>			
स्टोर	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	15	12	18

ग. बरामदा

1. नये स्कूल के लिए:- 8 फुट सिंगल लोडिड तथा 10 फुट डबल लोडिड  फुट
2. पुराने स्कूल के लिए:- 6 फुट सिंगल लोडिड तथा 8 फुट डबल लोडिड  फुट

घ. सीढ़ियां

1. नये विद्यालय के लिए 6 फुट चौड़ी 8 feet हां  नहीं  यदि साईज नहीं
2. पुराने विद्यालय के लिए 4 फुट 6 इंच तथा 100 फुट की दूरी पर एक अन्य सीढ़ी हां  नहीं  यदि साईज नहीं

ड. रैम्प

1. नये विद्यालय के लिए 6 फुट चौड़ा 8 feet हां  नहीं  यदि साईज नहीं
2. पुराने विद्यालय के लिए 6 फुट चौड़ा हां  नहीं  यदि साईज नहीं
- यदि विद्यालय में रैम्प नहीं है तो विकलांग विद्यार्थियों की कक्षा ग्राउन्ड फ्लोर पर लगाये।

च. प्रयोगशाला

मिश्रित विज्ञान प्रयोगशाला	<input checked="" type="checkbox"/>	भौतिक विज्ञान	<input type="checkbox"/>	संगीत	<input checked="" type="checkbox"/>
फंक्शनल इंगलिश	<input checked="" type="checkbox"/>	रसायन विज्ञान	<input type="checkbox"/>	मल्टीमीडिया	<input checked="" type="checkbox"/>
गणित	<input checked="" type="checkbox"/>	जीव विज्ञान	<input type="checkbox"/>	भूगोल	<input checked="" type="checkbox"/>
कम्प्यूटर	<input checked="" type="checkbox"/>	अन्य	<u>Competition</u>		

छ. पीने के पानी की सुविधा

ज. बिजली की सुविधा

झ. विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर

ट. प्रातः सभा के लिए फर्नीचर

ठ. चारदीवारी

1. लड़कियों के लिए शौचालयों की संख्या

2. लड़कों के लिए शौचालयों की संख्या

कुल शौचालय

5. स्टाफ विवरण संलग्न

क. क्या अध्यापक न्यूनतम शिक्षा में निपुण है हां  नहीं

ख. क्या वेतनमान एपेन्डीक्स ए में दिए गए शिक्षा नियमावली 2003 के अनुसार सही है हां  नहीं

यदि नहीं तो वेतनमान विवरण:-

1. संस्था के मुखिया (मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य)

2. प्रवक्ता

3. मास्टर/मिस्टरस

4. अध्यापक (जे.बी.टी./सी.एण्ड वी/भाषा/पी.टी.आई.)

5. गैर शिक्षक स्टाफ (क्लर्क/लैब सहायक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)

ग. स्टाफ के लिए नियम (नियम 162)

घ. शिक्षकों का लिखित एग्जीमेंट (नियम 161)

6. फीस ढांचा

क. कक्षा दर फीस व फण्ड (रेडक्रास, सी डब्ल्यू.एफ. व खेल निधि)

ख. क्या फीस नियम 158-159 के अनुसार ली जाती है हां  नहीं

ग. क्या फीस का विवरण सूचना पत्र पर लगाया जाता है हां  नहीं

घ. क्या रसीद दी जाती है हां  नहीं

Asper Agastya  
Asper Agastya  
Asper Agastya  
Asper Agastya

*(Signature)*

BFC-00

*(Handwritten notes)*

5

- 7. विद्यालय रिकार्ड रखा जाता है  हा  नहीं
- 8. एफीडेविट लगाया  हा  नहीं
- 9. वित्तीय विवरण सी.ए. द्वारा  हा  नहीं  
बैंक में जमा राशी का विवरण सन्तान करे  हा  नहीं
- 10. कार्यवाही फीस  हा  नहीं

5वीं के लिए रु० 1000/- 10वीं के लिए रु० 5000/-  
8वीं के लिए रु० 2500/- 12वीं के लिए रु० 10000/-

बैंक ड्राफ्ट का विवरण  
 ड्राफ्ट नं०  दिनांक   
 बैंक का नाम  जहां देय है   
 फाईल नं०

**स्वीकृतियां:-**


हम इन्सपेक्शन कमेटी के सदस्य अनुभव है कि स्कूल तमाम नियम पूरे रखता है जिससे दावेकी हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003 नियम के तहत व समय समय पर संशोधन या सलाह दी जायेगी हम उसको निम्न शर्तों पर रिकोगनिश / अपग्रेशन स्वीकृत करते हैं।

स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या  होनी चाहिए।

नीचे दिए गए कारणों से स्कूल रिकोगनेशन/अपग्रेशन के काबिल नहीं है

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

कक्षा  से कक्षा  तक स्वीकृत नहीं देते हैं।

  
 शिक्षा अधिकारी  
 शिक्षा अधिकारी

स्कूल के प्रमुख  
 शिक्षा अधिकारी  
 Mehar Khatun

स्कूल के प्रमुख  
 शिक्षा अधिकारी